1. किशोर पुत्र हीराराम, उम्र 25 वर्ष, निवासी खारडा, पुलिस थाना मूण्डवा, जिला नागौर (राज.)

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक, नागौर

..... अप्रार्थी

उपस्थितः-

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से - श्री रामकिशोर बाना, अधिवक्ता
2. राजस्थान राज्य की ओर से - श्री अनिल गौड़, अपर लोक अभियोजक
3. परिवादीया की ओर से - श्री निरमा गुर्जर, अधिवक्ता

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

(A) Case Details :-

FIR Number & Date	49/26.04.2026
Police Station, District and State	मूण्डवा, नागौर, जिला नागौर, राजस्थान
Section invoked	धारा 305(ए), 331(3) BNS
Maximum punishment prescribed	दस वर्ष का कारावास

(B) Custody & Procedural Compliance:-

Date of Arrest	28.05.2026
Total period of custody undergone	08 Days

(C) Status of trial:-

Stage of Proceedings (Investigation/Charge sheet/Cognizance/Framing of charges/Trial)	Investigation
Total number of witnesses cited in the charge sheet	Nill
Number of prosecution witnesses examined	Nill

(D) Criminal Antecedents:- Nill

(E) Previous Bail Applications :-

Court	Nill
Case No.	Nill
Outcome of Case	Nill

(F)

- Whether any Non-Bailable Warrant was issued :- Nill
- Whether declared a proclaimed offender :- Nill

आदेश

दिनांक 04.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त किशोर की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 49/2026, पुलिस थाना मूण्डवा, जिला नागौर में प्रस्तुत किया गया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया। नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। उभय पक्षों की बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.04.2026 को परिवादीया रेंवती देवी ने पुलिस थाना मूण्डवा में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 24.04.2026 को वह व उसके पति नागौर अस्पताल जाकर वापस घर आये तो उनके घर का ताला टूटा हुआ था एवं उनके बक्से के ताले भी टूटे हुए थे। उसने घर में रखे जेवर का पता किया तो वो सभी गायब थे। बक्से में रखे जेवर व करीब दस हजार रुपये चोरी हो गये थे। उसने व उसके पति ने आस-पास पता किया तो पता चला कि उसका पुत्र किशोर तथा महेन्द्र, रामूराम व उनके ही गांव के रमेश ने उक्त चोरी करना बताया। समय सांय करीब 04 बजे उन चारों को नागौर में देखा। उसने व उसके पति ने रामूराम से पूछा तो उसने सारी बात बतायी और कहा कि दो जोड़ी चांदी की पायजेब मूण्डवा में शिवरतन सोनी को बेची व बाकी बचे गहने उन्होंने नागौर किले की ढाल मिश्रा गैस की दुकान वालों को बेचा था, उनसे मिले रुपयों से उन्होंने नशा किया था। उसके पुत्र व इन लोगों ने उसके घर में चोरी करके उसे आर्थिक व मानसिक नुकसान पहुंचाया है.....इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मूण्डवा ने मुकदमा संख्या 49/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 305(ए), 331(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त किशोर के विरुद्ध धारा 305(ए), 331(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर के समक्ष एक जमानत प्रार्थना पत्र धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रस्तुत किया, जो दिनांक 30.05.2026 को अस्वीकार कर खारिज किए जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कथित कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त व परिवादीया के मध्य राजीनामा हो गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त के फरार होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही मुस्तगीस पक्ष के गवाहान को बहकाये जाने का अंदेशा है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने के लिए तैयार हैं। अन्त में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 305(ए), 331(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध का आरोप प्रमाणित पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अंत में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. दौराने बहस परिवादीया रेवन्ती देवी ने मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर राजीनामा की लिखापढ़ी पेश की और कथन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त व उसके मध्य राजीनामा हो गया है। न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो परिवादीया को कोई आपत्ति नहीं है।

7. उभय पक्षों के तर्कों पर गौर किया गया व केस डायरी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

8. केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से दर्शित है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 305(ए), 331(3) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अपराध का अभियोग है, जो कि आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी व अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 28.05.2026 को गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में है। इसके अतिरिक्त परिवादीया रेवन्ती ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उसके एवं प्रार्थी/अभियुक्त के मध्य राजीनामा होना जाहिर किया है व इस संबंध में राजीनामा की लिखापढ़ी भी प्रस्तुत की है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

9. अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों व राजीनामा आदि के तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किये बगैर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

10. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त किशोर पुत्र हीराराम, उम्र 25 वर्ष, निवासी खारडा, पुलिस थाना मूण्डवा, जिला नागौर (राज.) की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्द्वारा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण न्यायालय में अपनी-अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् 2,00,000/- रुपये की राशि का स्वयं का बंध पत्र एवं 1,00,000-1,00,000/- रुपये की राशि की दो सुदृढ़ जमानतें नियत पेशी पर एवं जब भी न्यायालय अपेक्षा करे, उपस्थिति बाबत, विचारण न्यायालय की संतुष्टि की प्रस्तुत कर तस्दीक करवा देवें तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

11. इस आदेश की प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को उपलब्ध करवाने हेतु जरिए ई-मेल प्रभारी अधिकारी, जिला कारागृह, नागौर को अविलम्ब प्रेषित की जावें। केस डायरी लौटायी जावें।

(विक्रम साँखला)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1, नागौर

12. आदेश आज दिनांक 04.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रम साँखला)
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1, नागौर